दां.प्रकी.(जमा.) 4435/2004
07.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री संदीप मेहता,
जन अभियोजक श्री अशोक उपाध्याय उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि इस प्रकरण में अभियुक्त रामसिंह के कब्जे से 4 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद होना पाई गई है। इस अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य अपराध से जोड़ने वाली नहीं है। सहअभियुक्त रामसिंह ने पुलिस को यह बताया कि भागने वाला व्यक्ति गोपाल था और सहअभियुक्त के बयानो के आधार पर इस अभियुक्त को अपराध में लिप्त किया जा रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध ऐसी कोई वैध साक्ष्य नहीं है जिससे कि उसे दण्डित किया जा सके। अत: अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की इस्तदुआ की गई।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। तमाम रेकर्ड के अवलोकन से इस अभियुक्त को भागते हुए किसी भी गवाह ने पहचाना हो, बयानो में नहीं कहा, मात्र

सहअभियुक्त के बयानो में आया है कि भागने वाला व्यक्ति गोपाल था। यह वैध साक्ष्य नहीं है। इस प्रकार अभियुक्त को अपराध से जोड़ने वाली वैध साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है। अभियुक्त जुर्म की पुनरावृति करेगा या फरार होगा नहीं बताया गया है। प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए, बिना गुणावगुण पर राय दिए, अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी गोपाल पुत्र समरथ योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा